न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का उद्यम A Govt. of India Enterprise)
नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र Narora Atomic Power Station
डाक : एनएपीएस टाउनशिप, नरौरा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश -203389
PO : NAPS Township, Narora, Distt. Bulandshahr (UP)-203 389

एनएपीएस चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, ईएनटी, आयुर्वेद/ होम्योपैथी के लिए आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाताओं का पैनल बनाना
EMPANELMENT OF VISITING CONSULTANT FOR PAEDIATRICS, DENTAL, OPHTHALMOLOGY, ORTHOPAEDICS, DERMATOLOGY, PSYCHIATRY, ENT, AYURVEDA / HOMEOPATHY AT NAPS HOSPITAL

ईओआई संख्या: एनएपीएस/चिकि./ईओआई/001/2026
EOI NO: NAPS/MED/EOI/001/2026

अनुक्रमणिका INDEX

क्रमांक S.No.	खंडों का विवरण Description of Sections	पेज संख्या Page Nos.
1	रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना Notice Inviting Expression of Interest	2-3
2	परिचय Introduction	4-5
3	पूर्व योग्यता मानदंड Pre-qualification criteria	6-7
4	आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक ए एवं बी) Application Format (Annexure A, B)	8-10
5	सामान्य सूचना - ईओआई General Information - EOI	11-13
6	अनुबंध प्रपत्र - सूचना के लिए और बाद में प्रस्तुत किए जाने के लिए (अनुलग्नक-V) Agreement proforma - for information and to be submitted later (Annexure-V)	14-19

एनएपीएस चिकित्सालय में आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाताओं का पैनल बनाने के लिए रुची की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रण सूचना

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR EMPANELMENT OF VISITING CONSULTANT AT NAPS HOSPITAL

एनपीसीआईएल, एनएपीएस साइट एनएपीएस के सीएचएसएस लाभार्थियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएपीएस चिकित्सालय में पात्र आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाताओं (अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल जिले) से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती है :

NPCIL NAPS Site invites Expression of Interest (EOI) from eligible Visiting Consultants (from District of Aligarh, Bulandshahr, Sambhal) at NAPS Hospital to empanel for extending the medical facilities to the CHSS beneficiaries and their dependents of NAPS Site:

क्रमांक S.No.	विजिटिंग विशेषज्ञ/परामर्शदाता का विषय-क्षेत्र Discipline of Visiting Specialists/ Consultants	योग्यता Qualification
1	बाल रोग विशेषज्ञ Paediatrician	MD - Paediatrics / DCH/DNB
2	दंत चिकित्सक Dentist	BDS / MDS
3	नेत्र रोग विशेषज्ञ Ophthalmologist	MS Ophthalmology/DNB/Diploma in Ophthalmology
4	अस्थि रोग सर्जन Ortho Surgeon	MS Orthopaedics/DNB/Diploma in Orthopaedics
5	त्वचा रोग विशेषज्ञ Dermatologist	MD-Dermatology/Diploma in Skin & Venereal Disease
6	मनोचिकित्सक Psychiatrist	MD Psychiatry/DNB/Diploma in Psychiatry
7	ईएनटी विशेषज्ञ ENT Specialist	MS ENT/DNB/Diploma in ENT
8	आयुर्वेद Ayurveda	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery (B.A.M.S.) / MD (Post Graduate in Ayurveda)
9	होम्योपैथी Homeopathy	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.) / MD (Post Graduate in Homeopathy)

उपर्युक्त आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाताओं की एनएपीएस चिकित्सालय में आवृत्ति निम्नानुसार होगी। प्रत्येक बार दौरे की अवधि 03 घंटे होगी।

The frequency of the above visiting specialist will be as follows in the NAPS Hospital. The duration per visit will be of 03 hrs.

विशेषज्ञता Speciality	आवृत्ति Periodicity
बाल रोग विशेषज्ञ Paediatrician	सप्ताह में एक बार Once in a week
दंत चिकित्सक Dentist	सप्ताह में दो बार Twice in a week
नेत्र रोग विशेषज्ञ Ophthalmologist	सप्ताह में दो बार Twice in a week
अस्थि रोग सर्जन Ortho Surgeon	सप्ताह में एक बार Once in a week
त्वचा रोग विशेषज्ञ Dermatologist	सप्ताह में एक बार Once in a week
मनोचिकित्सक Psychiatrist	सप्ताह में एक बार Once in a week

कान-नाक-गला (ईएनटी) विशेषज्ञ ENT Specialist	सप्ताह में एक बार Once in a week
आयुर्वेद Ayurveda	सप्ताह में एक बार Once in a week
होम्योपैथी Homeopathy	सप्ताह में एक बार Once in a week

उपर्युक्त आगंतुक (विजिटिंग) विशेषज्ञ /परामर्शदाता के पास अपनी संबंधित काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
The above Visiting Specialists / Consultants should have valid registration from their respective councils.

आपात स्थिति में विशेषज्ञ को परामर्श के लिए एनएपीएस चिकित्सालय में बुलाया जा सकता है।
In case of emergency, the specialist may be called for Consultation at NAPS hospital.

किसी विशेषज्ञ की मांग बढ़ने पर, सप्ताह में विजिटों की संख्या तदनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
In case of increased demand of a specialist, the number of visits per week may be changed accordingly.

रुची रखने वाली पार्टियां, जो 03 वर्ष तक एनएपीएस चिकित्सालय को अपनी सेवाएं देने की इच्छुक हैं, इस ईओआई के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस में 0900 से 1300 बजे और 1630 से 1830 बजे के बीच चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, एनएपीएस चिकित्सालय, नरौरा से व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं अथवा उसे निम्नलिखित साइट से डाउनलोड किया जा सकता है :-
http://npcil.nic.in/main/expression of interest.aspx और ईओआई के जारी / प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर जमा करना होगा ।

Interested parties, those who are willing to provide their services to NAPS Hospital for a period of 03 years, may obtain the application form within 15 days from the date of issue of this EOI on any working day during 0900 Hrs to 1300 Hrs & 1630 Hrs to 1830 Hrs in person from Medical Superintendent office, NAPS Hospital, Narora or Same can be downloaded from Website:
http://npcil.nic.in/main/expression of interest.aspx and submit within 21 days of date of issue/ publish of EOI"

ईओआई से संबंधित कोई और जानकारी/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट आदि http://npcil.nic.in/main/expression of interest.aspx पर अपलोड किया जाएगा। कृपया इन वेब पोर्टलों को देखते रहें।
Any further information/corrigendum/addendum, etc. pertaining to EOI will be uploaded on http://npcil.nic.in/main/expression of interest.aspx. Please keep referring these web portals.

चिकित्सा अधीक्षक
Medical Superintendent
एनएपीएस चिकित्सालय
NAPS Hospital

अस्वीकरण
DISCLAIMER

यह रुची की अभिव्यक्ति (ईओआई) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा जारी की गई है।

This Expression of Interest (EOI) is issued by the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Government of India Enterprises under Department of Atomic Energy.

यह ईओआई एनएपीएस चिकित्सालय हेतु उन आगंतुक परामर्शदाताओं (विजिटिंग कन्सल्टेंट) के लिए है, जो इस ईओआई दस्तावेज में आगे दिए गए संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपना विवरण देना चाहते हैं।

This EOI is meant only for Visiting Consultant at NAPS Hospital who intends to submit their credentials in line with the terms and conditions set forth in EOI document.

इस ईओआई में कुछ चुनी हुई जानकारियाँ दी गई हैं| प्रत्येक इच्छुक आवेदक को इस ईओआई में निहित जानकारी का अपना विश्लेषण करना चाहिए या उसमें किसी भी अशुद्धि को ठीक करना चाहिए जो इस ईओआई में हों और एनएपीएस चिकित्सालय में आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता के लिए प्रस्तावित पैनल हेतु स्वयं की जांच करने की सलाह दी जाती है।

The information in this EOI is selective. Each interested applicant must conduct their own analysis of the information contained in this EOI or to correct any inaccuracies therein that this EOI may contain and is advised to carry out their own investigation into the proposed empanelment for Visiting Consultant at NAPS Hospital.

इस ईओआई के अनुलग्नक-V में दिए गए अनुबंध जिसमें चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए सभी नियमों और शर्तों का विवरण दिया गया है, पर एनपीसीआईएल, एनएपीएस साइट और आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुबंध में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुपालन में किसी भी अवहेलना को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

An agreement as provided at Annexure-V of this EOI detailing all terms and conditions for availing the medical facility shall be signed between the NPCIL NAPS Site and the Visiting Consultant. No deviation to terms and conditions indicated in the agreement shall be accepted.

हिंदी संस्करण में व्याख्या के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अस्पष्टता/ विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

In case of any ambiguity / dispute arising on account of interpretation in Hindi version, the English version shall prevail for all purposes.

1. एनपीसीआईएल, एनएपीएस साइट - एक परिचय:

एनपीसीआईएल, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसके पास भारत में एक साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं जैसे- स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन, संयंत्र जीवन विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन और परमाणु रिएक्टरों की डिकमिशनिंग के क्षेत्र में व्यापक क्षमता उपलब्ध है।

1. NPCIL NAPS SITE – AN INTRODUCTION:

NPCIL, a premier Central Public Sector Enterprise under the Department of Atomic Energy, Government of India has comprehensive capability in all facets of nuclear technology namely, Site Selection, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Renovation, Modernization & Up- gradation, Plant Life extension, Waste Management and Decommissioning of Nuclear Reactors in India under one roof.

1.1 एनएपीएस साइट के बारे में ABOUT NAPS SITE:

एनएपीएस साइट अलीगढ़ से लगभग 57 किमी, दिल्ली से 140 किमी और बुलंदशहर से 70 किमी दूर स्थित है। **NAPS Site** is located about 57 kms from Aligarh, 140 kms from Delhi and 70 kms from Bulandshahr.

1.1.1 एनएपीएस टाउनशिप में एनएपीएस साइट का अपना स्वयं का चिकित्सालय है। यह लगभग 6000 लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। हमारे चिकित्सालय में सभी चिकित्सा और कुछ सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ रोगियों को उपचार और प्रबंधन, जो एनएपीएस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हैं के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्तर के केंद्रों और उच्च नैदानिक केंद्रों में भेजने की आवश्यकता होती है।

NAPS site has its own hospital at NAPS Township. It caters to around 6000 beneficiaries. All medical and some surgical facilities are available at our hospital. Some of the patients are required to be referred to the secondary & tertiary level centers and higher diagnostic facilities for treatment and management which are not available in NAPS Hospital.

इच्छुक आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता इस दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। The interested Visiting Consultant may apply on the prescribed Application Format provided in this document.

आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाताओं के लिए पूर्व-योग्यता मानदंड
PRE-QUALIFICATION CRITERIA FOR VISITING CONSULTANTS

1.	शैक्षिक योग्यता Educational Qualification –	आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता (बाल रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आर्थो सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, ईएनटी विशेषज्ञ, आयुर्वेद, होमियोपैथी) Visiting Consultant (Pediatrician, Dentist, Ophthalmologist, Ortho Surgeon, Dermatologist, Psychaitrist, ENT Specialist, Ayurveda,Homeopathy)	एमबीबीएस, एमडी/एमएस, बीडीएस/एमडीएस, डीसीएच, डीएनबी, बीएचएमएस, बीएएमएस, मनोचिकित्सा/ त्वचा एवं यौन रोग/नेत्र रोग चिकित्सा/ ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा MBBS,MD/MS,BDS/MDS,DCH,DNB, BHMS,BAMS, Post graduate Diploma in - Psychaitry/ Skin & Veneral Disease/Ophthalmology/ Orthopedics
2.	प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव Experience in relevant field	केवल स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए न्यूनतम 1 वर्ष। Minimum 1 year for Post Graduate Diploma only.	
3.	आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज Document to be enclosed along with Application form –	i) किसी भी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र ii) पते का प्रमाण (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र आदि) iii) डिग्री प्रमाण पत्र iv) नियोक्ता/संबंधित संस्थान द्वारा जारी संबंधित क्षेत्र में अनुभव प्रमाण पत्र। निजी प्रैक्टिस के मामले में, लैटर हैड पर संबंधित क्षेत्र में अनुभव की स्व-घोषणा संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-बी) में संलग्न की जानी चाहिए। v) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र (आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए) पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने और पंजीकरण का नवीनीकरण लंबित होने की स्थिति में, चयनित अभ्यर्थी को समझौता निष्पादित करने से पहले पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। I. Photo I/D issued by any Govt. Authority. II. Address proof (Aadhar card, Driving license, Voters card, etc.) III. Degree certificate. IV. Experience certificate in relevant field issued by employer / institution. In case of Private Practice, **self-declaration** of experience in relevant field on Letterhead should be enclosed **in attached format (ANNEXURE-B)**. v. Registration Certificate issued by Medical Council of India. (Certificate should be valid on the last date of submission of Application). In case of validity of Registration Certificate is expired and renewal of registration is pending, the selected candidate should provide the proof of applying renewal of registration before executing the agreement.	

टिप्पणी **Note:-**

1. केवल योग्य अभ्यर्थी, जो उपरोक्त पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ही इस पद के लिए आवेदन करें।
   Only eligible candidates who meet the above Pre-Qualification criteria should apply for this post.

2. उपरोक्त पद विशुद्ध रूप से संविदात्मक आधार पर है और एनपीसीआईएल, एनएपीएस साइट और आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा।
   Above post is purely on contractual basis and will be adhered to the terms & conditions of contract agreement to be signed between NPCIL NAPS Site & Visiting Consultant.

3. प्रति विजिट परामर्श शुल्क न्यूनतम 20 रोगियों के लिए उद्धृत किया जाना है और उतने परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा, भले ही परामर्श प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या 20 से कम हो।
   Consultation charges per visit for minimum 20 patients are to be quoted and the same will be payable even if number of patients availing consultation is less than 20.

4. प्रति रोगी परामर्श शुल्क भी उद्धृत करें, यदि किसी विजिट में रोगियों की संख्या 20 से अधिक हो जाती है, तो 20 रोगियों के लिए उद्धृत परामर्श शुल्क (जैसा ऊपर क्रम सं. 3 में उल्लिखित है) के अलावा अतिरिक्त रोगियों की वास्तविक संख्या के आधार पर परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
   Consultation charges per patient also to be quoted which will be payable on actual number of patients in addition to the consultation charges quoted for 20 patients (as mentioned at sl.no. 3 above), if the patients exceeds 20 in any visit.

आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता के लिए आवेदन पत्र

APPLICATION FORM FOR VISITING CONSULTANT

(एक सीलबंद लिफाफे में जिसपर 'आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता - बाल रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, ईएनटी विशेषज्ञ, आयुर्वेद, होम्योपैथी के लिए ईओआई'' लिखा हो, चिकित्सा अधीक्षक, एनएपीएस चिकित्सालय, डाक: नरौरा, जिला बुलंदशहर- 203389, उत्तर प्रदेश के पते पर भेजा जाए)
(Tobe sent in a sealed cover mentioning - 'EOI for Visiting Consultant Pediatrician, Dentist, Ophthalmologist, Ortho Surgeon, Dermatologist, Psychaitrist, ENT Specialist, Ayurveda, Homeopathy) to: Medical Superintendent, NAPS Hospital, P.O: Narora, Dist.: Bulandshahr – 203389, Uttar Pradesh)

कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा)
Kindly fill up all columns. Incompletely filled form will not beconsidered)

विज्ञापन सूचना सं. Advertisement Notice No.	**NAPS/MED/EOI/001/2026**	फोटोग्राफ Photograph
पद का नाम Name of the Post	आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता **VISITING CONSULTANT**	
1. आवेदक का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) Applicant Full Name (In Capital Letters)	: डॉ. DR. _	
2. जन्म तिथि: Date of Birth	**:**	
3. लिंग: Gender:	: पुरुष / महिला Male / Female	
4. पता Address	:	
5. मोबाइल नंबर Mobile No.	:	
6. ई-मेल पता: e-mail Address	:	
7. चिकित्सा योग्यताएं: Medical Qualifications	:	
पंजीकरण संख्या Registration Number		

8. योग्यता विवरण Qualification details -

क्र.सं. S.No.	परीक्षा उत्तीर्ण Exam Passed	कॉलेज / विश्वविद्यालय वर्ष का नाम Name of College / University	उत्तीर्ण Year of passing	पाठ्यक्रम की अवधि Duration of course
1				
2				
3				
4				
5				

9. योग्यता के बाद कुल अनुभव वर्षों में
Totalexperience in Years post qualification

10. अनुभव विवरण (वर्तमान/अंतिम रोजगार से शुरू): 10. Experience Details (starting from present/ last employment):						
क्र.सं. S.No.	नियोक्ता का नाम Name of the Employer	धारित पद Post Held	दिनांक से From Date	तारीख तक To Date	कुल Total	
					वर्ष Year	महीना Month
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

11. आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता की आवृत्ति Frequency of Visiting consultant	**: साप्ताह में एक बार/ पखवाड़े में एक बार/माह में एक बार (करार के समय सूचित किया जाएगा)** : **Weekly once / Fortnightly once / Monthly once (will be intimated at the time of Agreement)**
12. विजिटिंग समय : Visiting time	: शाम को तीन घंटे। समय सूचित किया जाएगा। Three hours during evening. Timings will be notified.
13. न्यूनतम 20 रोगियों के लिए प्रति विजिट परामर्श शुल्क Consultation Charges per visit forminimum 20 patients	(शब्दों मे in words) रूपये Rs......................... .... (अंकों मेंin figure) रूपये Rs ....
14. 20 रोगियों से अधिक होने पर प्रति रोगी परामर्श शुल्क Consultation charges per patient beyond 20 patients	(शब्दों मे in words) रूपये Rs......................... .... (अंकों मेंin figure) रूपये Rs ....
15. प्रति विजिट परिवहन प्रभार, यदि कोई हो... Transportation charges per visit, if any	(शब्दों मे in words) रूपये Rs......................... .... (अंकों मेंin figure) रूपये Rs ....
16. अनुबंध की अवधि Tenure of Contract	03 (तीन) वर्ष। 03 (Three) years.
17. कोई अन्य टिप्पणी Any other Remarks	

दिनांक Date:

हस्ताक्षर Signature:

नाम Name:

अनुलग्नक - बी

Annexure –B

लैटर हैड पर अनुभव की घोषणा

DECLARATION OF EXPERIENCE ON LETTER HEAD

(निजी प्रैक्टिस के मामले में प्रस्तुत किया जाना है)

(To be submitted in case of private practice)

मैं, डॉ. ____ एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं एक पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी) हूँ, जो पिछले __________वर्षो से नीचे उल्लिखित पते पर अपने निजी चिकित्सालय/क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूं।

मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरोक्त अवधि के दौरान अपने विधा/ विशेषता में नैदानिक अनुभव प्राप्त किया है।

I, Dr.____, hereby declare that I am a Registered Medical Practitioner (RMP), practicing at my Private Hospital/ Clinic at the address mentioned below since last ________________years.

I also hereby declare that I have gained clinical experience in my discipline / specialty during the above period.

निजी चिकित्सालय/क्लिनिक का नाम Name of Private Hospital/ Clinic	
पूरा पता Full Address	
पंजीकरण संख्या Registration Number	
ई-मेल आईडी E-Mail id	
संपर्क नंबर Contact No.	:

दिनांक Date:

हस्ताक्षर Signature:

नाम Name:

02.0 सामान्य सूचना एवं अनुदेश:

GENERAL INFORMATION & INSTRUCTIONS:

2.1 एनपीसीआईएल एनएपीएस साइट ऊपर बताए अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के अधीन आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता के पैनल के लिए यह ईओआई जारी करता है।

NPCIL NAPS Site floats this EOI for empanelment of Visiting Consultant subject to fulfilling the requirement as stated above.

2.2 आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले ईओआई दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Applicants are expected to examine the EOI document carefully before submission of the application. Incomplete applications will be summarily rejected.

2.3 यह माना जाएगा कि आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक ने It would be deemed that prior to submission of the Application, the applicant has:-

i. इस ईओआई अनुरोध दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं और अन्य जानकारी की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच कर ली है।

Made a complete and careful examination of requirements and other information set forth in this EOI request document.

ii. ऐसी सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर ली हैं, जैसा कि एनपीसीआईएल एनएपीएस साइट द्वारा अनुरोध किया गया है।

Received all such relevant information as it has requested from NPCIL NAPS Site.

2.4 आवेदक अपने आवेदन को तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को स्वयं वहन करेंगे।

The applicant shall bear all costs associated with the preparation and submission of their application.

2.5 आवेदक एनपीसीआईएल साइट के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना गोपनीय जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं देंगे।

The applicant shall not disclose confidential information to any third party without prior written approval of NPCIL Site.

2.6 एनपीसीआईएल एनएपीएस साइट आवश्यक समझे जाने पर सत्यापन के लिए समर्थक दस्तावेजों को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखती है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए किसी भी विवरण को उनके पूर्व ग्राहक (क्लाइंट) आदि से क्रॉस-चेक भी कर सकती है। आवेदकों को इस संबंध में कोई आपत्ति नहींहोनी चाहिए।

NPCIL NAPS Site reserves the rights to call for the supporting documents for verification if so deemed also cross-check for any details as furnished by the applicant from their previous clients etc. The applicants shall not have any objection whatsoever in this regard.

2.7 पार्टी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में योग्यता और अनुभव के समर्थन में दस्तावेज शामिल होंगे। सभी लिफाफों को अनिवार्य रूप से सील किया जाना चाहिए और उस पर एनएपीएस चिकित्सालय में आगंतुक परामर्शदाता-बाल रोग, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, कान-नाक-गला विशेषज्ञ, आयुर्वेद, होम्योपैथी लिखा होना चाहिए|

The application submitted by the party shall comprise the documents in support of qualification and experience. All the envelopes should compulsorily be sealed & superscribed with **EOI for Visiting Consultant - Pediatrician, Dentist, Ophthalmologist ,Ortho Surgeon, Dermatologist, Psychaitrist, ENT Specialist, Ayurveda, Homeopathy, at NAPS Hospital.**

3. आवेदनों का मूल्यांकन और तुलनाEVALUATION AND COMPARISION OF APPLICATIONS

चिकित्सालय पैनल समिति दिए गए ईओआई में आवेदन प्रारूप मानदंड, जैसा भी मामला हो, के आधार पर प्राप्त आवेदनों की क्रॉस जांच करेगी| समिति की सिफारिशों के अनुसार, आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पैनल की आगे की प्रक्रिया के लिए छांटे गए आवेदनों को खोला/ ओपन किया जाएगा|
The Hospital Empanelment Committee will cross check the applications in the given EOI based on the application format criteria as the case may be. As per recommendations of Committee, applications will be shortlisted and screened in applications will be opened for further process of empanelment.

4. कार्य प्रदान करने के संबंध में मानदंड AWARD CRITERIA

निगम उस आगंतुक (विजिटिंग) परामर्शदाता को सूचीबद्ध करेगा, जिसका मूल्यांकित ईओआई तकनीकी रूप से उपयुक्त और वित्तीय रूप से न्यूनतम हो और ईओआई दस्तावेज़ की शर्तों को पर्याप्त रूप से पूरा करता हो एवं बशर्ते कि आवेदक करार को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए योग्य हो|
The Corporation shall empanel the visiting consultant whose evaluated EOI has been determined to be technically suitable and financially lowest and is substantially responsive to the EOI document, provided further that the applicant is determined to be qualified to execute the agreement satisfactorily.

5. भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहार CORRUPT & FRAUDULENT PRACTICES :

यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदक "भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं" की नीति के अनुसरण में अनुबंध के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करते हैं जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
It is expected that applicants observe the highest standard of ethics during the execution of the contract in pursuance to the policy of “Corrupt & Fraudulent Practices” that is defined as follows:

i. “भ्रष्ट अभ्यास/कार्य प्रणाली" का अर्थ है अनुबंध निष्पादन में किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्य की पेशकश, प्राप्ति या याचना करना।
“Corrupt practice” means the offering, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the contract execution.

ii. "कपटपूर्ण कार्य" का अर्थ है एनपीसीआईएल को नुकसान पहुँचाने एवं उसे मुक्त और ओपन प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने हेतु अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने वाले तथ्यों की गलत प्रस्तुति, जिसमें आवेदकों के मध्य सांठगांठ (ईओआई प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) भी शामिल है, जो कि कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धा आवेदन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो|
Fraudulent practice” means amisrepresentation of facts to influence the execution of a contract to the detriment of NPCIL and includes collusive practices amongst the applicants (prior to or after EOI submission) designed to establish application process at artificial non- competition levels and to deprive NPCIL of the benefits of free and open competition.

एनपीसीआईएल कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक या एजेंसी जिसे काम दिया गया है, भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्यों में लिप्त है। NPCIL will reject a proposal for award of work, if it is determined that any applicant or the agency to whom the work has been awarded is engaged in corrupt or fraudulent practices.

6. एनपीसीआईएल एनएपीएस साइट किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि: NPCIL NAPS Site reserves the right to reject any application if:

i. किसी भी समय, आवेदक के विषय में कोई भौतिक/ ठोस गलत बयानी पाई जाती है अथवा उजागर होती है। At any point of time, a material misrepresentation is made or uncovered for an applicant.

ii. आवेदक आवेदन के मूल्यांकन के लिए आवश्यक पूरक जानकारी के अनुरोधों पर तुरंत और पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता है। The applicant does not respond promptly and thoroughly to requests for supplemental information required for the evaluation of the Application.

7. करार AGREEMENT--

अंतिम करार में अनुलग्नक-V में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एनपीसीआईएल-एनएपीएस साइट के वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक (मासं.) एवं पैनल के लिए अनुमोदित विजिटिंग कंसल्टेंट, जैसा भी मामला हो, के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे|

The final agreement will be signed by the Senior Manager / Manager (HR) of the NPCIL – NAPS Site with the Visiting Consultant as the case may be approved for empanelment in the prescribed format as at Annexure-V.

(इस करार को केवल सफल बिडर भरें और यह केवल आपकी सूचना के लिए करार की एक नमूना प्रति है)
ONLY SUCCESSFUL BIDDER WILL FILL THIS AGREEMENT &
THIS IS ONLY A SPECIMEN COPY OF AGREEMENT FOR YOUR INFORMATION)

<u>अनुलग्नक Annexure-V</u>

संख्या No.............
डॉ. -------------------------------------- एवं
एनपीसीआईएल, एनएपीएस, नरोरा साइट के मध्य समझौता

AGREEMENT BETWEEN
NPCIL, NAPS, NARORA SITE
AND
DR. ____

यह करार तारीख .... 2026 को एनपीसीआईएल, एनएपीएस, नरोरा साइट, जिसका कार्यालय नरोरा, डाक: नरोरा, जिला : बुलंदशहर, राज्य : उत्तर प्रदेश है, जो कि प्रथम पक्ष है और डॉ. .... , जो कि द्वितीय पक्ष है, के मध्य बना कर निष्पादित किया जाता है।

This Agreement is made and executed on this_______day of_, **2026** by and between NPCIL **NAPS, Narora Site** having its office at Narora**, Post: Narora, Dist.: Bulandshahr, State: Uttar Pradesh** of the First Party AND **Dr.** ____ of the Second Party.

अंशदाई स्वाथ्य सेवा योजना, एनपीसीआईएल और अन्य डीएई यूनिटों के सभी सीएचएसएस लाभार्थियों, जिन्हें 'लाभार्थी' के रूप में संबोधित किया गया है, को व्यापक स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है।

WHEREAS, the Contributory Health Services Scheme is providing comprehensive medical care facilities to all CHSS beneficiaries of NPCIL and other Units of DAE referred to as "beneficiary".

एनपीसीआईएल एम्पेनलमेंट रेफरल चिकित्सालय योजना संपूर्ण भारत में लाभार्थियों को परामर्श उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है और डॉ. ...., आगंतुक परामर्शदाता .... एनएपीएस चिकित्सालय के लाभार्थियों को परामर्श देने हेतु सहमत हुए हैं|

AND WHEREAS, NPCIL Empanelment of Referral Hospitals Scheme proposes to provide consultancy to the Beneficiaries in the Hospitals all over India. AND WHEREAS, Dr.___________________________, *Visiting* Consultant agreed to give____to the Beneficiaries in the NAPS Hospital.

अत:, दोनों पक्षों के बीच एतद्द्वारा यह करार किया जाता है कि –
NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED between the Parties as follows:

1. 0 **सामान्य शर्तें** GENERAL CONDITIONS

दूसरा पक्ष लाभार्थियों को योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले पक्ष के आगंतुक परामर्शदाता के रूप में परामर्श प्रदान करेगा।

The Second Party shall provide consultancy as visiting consultant to the First Party for providing the services under the Scheme to the beneficiaries.

1.2 दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने या प्रदर्शन करने में किसी भी चूक या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता विशेष रूप से दूसरे पक्ष, जो अकेले ऐसी सेवाएं प्रदान करने में दोष और/या कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, द्वारा वहन की जाएगी|

The Second Party agrees that any liability arising due to any default or negligence in providing or performance of the medical services shall be borne exclusively by the Second Party, which alone shall be responsible for the defect and / or deficiencies in rendering such services.

1.3 किसी भी प्राकृतिक आपदा / महामारी के मामले में, दूसरा पक्ष पहले पक्ष के प्राधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा और उपचार प्रदान करने के अलावा सभी आवश्यक जानकारी को संप्रेषित / प्रकट करेगा।

In case of any natural disaster / epidemic, the Second Party shall fully cooperate with the authorities of the First Party and will convey / reveal all the required information, apart from providing treatment.

1.4 दूसरा पक्ष पहले पक्ष के नाम का कोई वाणिज्यिक प्रचार नहीं करेगा|

The Second Party will not make any commercial publicity projecting the name of the First Party.

1.5 दूसरा पक्ष केवल उस स्थिति के लिए पहले पक्ष के लाभार्थी की जांच / इलाज करेगा जिसके लिए उन्हें संदर्भित किया गया है। अनुमोदित उद्देश्य/प्रक्रिया के लिए भर्ती होने के दौरान इन रोगियों की किसी अप्रत्याशित आपात स्थिति में, "आपात स्थिति के प्रावधान" लागू होंगे।

The Second Party will investigate/treat the beneficiary of the First Party only for the condition for which they are referred. In case of unforeseen emergencies of these patients during admission for approved purpose / procedure, “Provisions of Emergency” shall be applicable.

1.6 दूसरा पक्ष पहले पक्ष के प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना रोगी को अन्य विशेषज्ञ/अन्य चिकित्सालय में रेफर नहीं करेगा| जब भी रोगी को आगे रेफरल की आवश्यकता हो, संबंधित चिकित्सा अधीक्षक को पूर्व सूचना दी जाएगी।

The Second Party will not refer the patient to other specialist / other hospital without prior permission of authorities of the First Party. Prior intimation shall be given to concerned Medical Superintendent whenever patient needs further referral.

1.7 यह अनुबंध, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए वैध होगा।

This contract will be valid up for three years from the date of signing the agreement.

1.8 दूसरा पक्ष साप्ताह में एक बार/साप्ताह में दो बार/माह में एक बार (एनपीसीआईएल की छुट्टियों को छोड़कर) शाम को तीन घंटे के लिए एनएपीएस चिकित्सालय का दौरा करेगा। समय अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

The Second Party shall visit NAPS Hospital for three hours in the evening **Weekly Once/Weekly twice / Monthly once (except on NPCIL holidays).** Timings will be notified separately.

1.9 प्रथम पक्ष लागू वैधानिक कटौती के बाद मासिक आधार पर दूसरे पक्ष को परामर्श शुल्क प्रेषित करेगा।

The First Party shall remit consultation fees to the Second Party on monthly basis after applicable statutory deductions.

1.10 बाहरी परामर्शदाताओं के मामले में, एनएपीएस चिकित्सालय आने और वापस जाने के लिए पहले पक्ष द्वारा आगंतुक परामर्शदाताओं को परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी अथवा लागू नियमों के अनुसार परिवहन भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

In case of outstation consultants, Transportation facility to NAPS Hospital and back will be extended by the First Party or Transportation allowance to the visiting consultants will be reimbursed as per applicable rules.

1.11 पहले पक्ष के लाभार्थियों को प्रसूति और स्त्री रोग परामर्श प्रदान करने के लिए शुल्क/दरों की अनुसूची इस

करार की वैधता के दौरान दृढ़ रहेगी।
The schedule of charges / rates for providing Obstetrics and Gynecologist consultancy to beneficiaries of the First Party shall remainfirm during the validity of this agreement.

1.12 प्रथम पक्ष के सभी लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा की विस्तृत रिपोर्ट द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।
A detailed report of medical facility provided to all the beneficiaries of the First Party shall be submitted on monthly basis by the Second Party to the First Party.

1.13 प्रथम पक्ष के लाभार्थियों के संबंध में चिकित्सा आंकड़े (डेटा) का उपयोग किसी भी अध्ययन या दस्तावेज/लेख के प्रकाशन के लिए नहीं किया जाएगा।
The Medical data with respect to beneficiaries of the First Party shall not be used for generating any studies or publication of any papers/articles.

1.14 लागू कानून इस करार के निर्माण और व्याख्या को नियंत्रित करेंगे।
The applicable laws shall govern the construction and interpretation of this Agreement.

2.0 अनुबंध अवधि के दौरान परामर्शदाता की निष्ठा और दायित्व
VISITING CONSULTANT'S INTEGRITY AND OBLIGATIONS DURING AGREEMENT PERIOD

दूसरा पक्ष अत्याधुनिक तरीकों और आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उपलब्ध सभी साधनों से करार के अनुसार सभी संविदात्मक दायित्वों का संचालन करने और करार में निर्दिष्ट प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार और बाध्य है। दूसरा पक्ष अपने कर्मचारियों की गतिविधियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा एवं उनके द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार, लापरवाही, कदाचार या सेवाओं में कमी, यदि कोई है, के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएगा|
The Second Party is responsible for and obliged to conduct all contractual obligations in accordance with the Agreement using state-of-the-art methods and economic principles and exercising all means available to achieve the performance specified in the Agreement. The Second Party is responsible for managing the activities of its personnel and will hold itself responsible for their misdemeanors, negligence, misconduct or deficiency in services, if any.

परामर्शदाता चिकित्सालय में इस तरह के उपचार के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान, सेवाओं में किसी प्रकार की कमी, जिसके परिणामस्वरुप किसी प्रकार की चोट, विकलांगता, कोई अन्य हानि या लापरवाही के कारण मृत्यु और अन्य चोटों के लिए लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पहले पक्ष को दूसरे पक्ष के किसी भी ऐसे कार्य या कृत्यों के लिए या लाभार्थियों को किसी भी नुकसान या मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।
The consultant shall be liable to pay damages to the beneficiaries, for any deficient services resulting into any injury, disablement, loss of part or death due to negligence and other injuries occurring in consequence to such treatment in the Hospital. The First Party shall not be held responsible or accountable for any such act or acts of the Second Party or for the payment of any damages or compensation to the beneficiaries whatsoever.

3.0 सेवा समाप्ति TERMINATION

3.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित में 30 दिन का नोटिस दे कर इस करार को समाप्त कर सकेगा|
This agreement can be terminated by either of the party by giving 30 days' notice in writing to the other party.

3.2 तथापि, प्रथम पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना किसी अन्य उपाय के करार भंग करने के लिए दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देकर करार को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है :
However, the First Party may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice to the Second Party may terminate the Agreement in whole or part:

3.3 यदि द्वितीय पक्ष करार के अधीन अपने किसी दायित्व(वों) को पूरा करने में विफल रहता है।
If the Second Party fails to perform any of its obligation(s) under the Agreement.

3.4 यदि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की नज़र में करार हेतु प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण आचरणों में लिप्त है।

If Second Party in the judgment of the First Party has indulged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Agreement.

3.5 द्वितीय पक्ष द्वारा करार के प्रावधानों जैसे (केवल ये ही नहीं) सेवा देने से मना करना, पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधाएं देने से मना करना और प्रथम पक्ष के लाभार्थियों से सीधे शुल्क लेना, अपर्याप्त या दोषपूर्ण सेवा और उपचार में लापरवाही का कोई उल्लंघन किया जाता है|

In case of any violation of the provisions of the Agreement by the Second Party such as (but not limited to), refusal of service, refusal of credit facilities to eligible beneficiaries and direct charging from the Beneficiaries of the First Party, deficient or defective service and negligence in treatment.

3.6 यदि द्वितीय पक्ष किसी अनैतिक, अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो या उनसे जुड़ा हुआ पाया जाता है तो प्रथम पक्ष द्वारा करार को तुरंत बिना किसी नोटिस के निलंबित कर दिया जाएगा और उसके बाद कारण बताओ नोटिस देकर और कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर प्राप्त हुए उसके उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद करार को समाप्त किया जा सकता है।

If the Second Party is found to be involved in or associated with any unethical, illegal or unlawful activities, the Agreement will be summarily suspended without any notice by the First Party and thereafter may terminate the Agreement, after giving a show cause notice and considering its reply if any, received within 10 days of the receipt of show cause notice.

4.0 क्षतिपूर्ति INDEMNITY

द्वितीय पक्ष इस करार के अधीन द्वितीय पक्ष द्वारा सेवाओं के निष्पादन में अथवा उनके संबंध में किए गए किसी कार्य अथवा कथित रूप से किए जाने वाले कार्य के संबंध में की गई सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों और मांगों के लिए अथवा उसके सम्मुख प्रथम पक्ष को क्षतिपूर्ति करेगा और सदा क्षतिपूर्ति करता रहेगा और प्रथम पक्ष को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहरायेगा।

The Second Party shall at all times, indemnify and keep indemnified the First Party against all actions, suits, claims and demands brought or made against it in respect of anything done or purported to be done by the Second Party in execution of or in connection with the services under this Agreement will not hold the First Party responsible or obligated.

5.0 भुगतान PAYMENT

द्वितीय पक्ष को भुगतान सभी आवश्यक व सहायक दस्तावेजों सहित बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। कार्य अवार्ड होने पर पक्ष द्वारा बैंक खता विवरण प्रस्तुत किया जाएगा|

The payment will be made to the Second Party within a period of 60 days from the date of submission of the bill accompanied with all necessary and supporting documents. Account details shall be shared by the party on award of work.

6.0 अवधि DURATION

यह करार तीन (03) वर्षों अथवा जब तक इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता| में से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह करार दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

The Agreement shall remain in force up to 3 (three) years or till it is modified or revoked, whichever is earlier. The Agreement may be extended for a further period with mutual consent of the Parties.

7.0 मध्यस्थता ARBITRATION

यदि इस करार से कोई विवाद/ मतभेद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन / अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या इस समझौता ज्ञापन / अनुबंध के संबंध में या इसके किसी भी नियम और शर्तों की व्याख्या या इसके नियमों और शर्तों के किसी भाग के संबंध में आपसी बातचीत / चर्चा द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे| ऐसा न कर पाने की स्थिति में विवाद/मतभेद को विवाद के समय दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

If any dispute/ difference arising out of this Agreement the parties shall use their best efforts to settle all disputes amicably arising out of or in connection with this MoU / contract or its interpretation of any of the term and conditions or part of the terms and conditions of the MoU / contract by mutual negotiations / discussions, failing which the dispute shall be referred to the sole Arbitration of the person appointed through mutual consent of both the parties at the time of dispute.

8.0 विविध MISCELLANEOUS

8.1 इस करार के तहत प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य मालिक एवं सेवक अथवा प्रधान एवं एजेंट के कोई अधिकार अथवा कोई संबंध नहीं बनाए या स्थापित किए जाएँगे|

Nothing under this Agreement shall be construed as establishing or creating any right or any relationship of Master and Servant or Principal and Agent between the First Party and the Second Party.

8.2 द्वितीय पक्ष किसी प्रकार के स्थिति परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि, जिससे इस करार के तहत द्वितीय पक्ष के दायित्व के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता हो, के विषय में प्रथम पक्ष को सूचित करेगा|

The Second Party shall notify the First Party of any change as to the status, change of name etc. as the case may be, if such change would have an impact on the performance of obligation of the Second Party under this Agreement.

8.3 इस करार को केवल लिखित करार जिस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों द्वारा संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है।

This Agreement can be modified or altered only on written agreement signed by both the parties.

8.4 यदि द्वितीय पक्ष बंद हो जाता है अथवा भंग हो जाता अथवा दिवालिया हो जाता है, तो प्रथम पक्ष को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा। करार की समाप्ति से इस करार के तहत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दायित्वों से द्वितीय पक्ष या उनके वारिस, उत्तराधिकारी, असाइन और विधिक प्रतिनिधि मुक्त नहीं होंगे।

If the Second Party is wound up or dissolved or become insolvent, the First Partyshall have the right to terminate the Agreement. The termination of Agreement shall not relieve the Second Party or their heirs, successors, assigns and legal representatives from the liability in respect of the services provided by the Second Party under the Agreement.

8.5 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की पूरी तरह स्व-विवेक से पूर्व लिखित सहमति और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों, जिन्हें प्रथम पक्ष द्वारा उचित समझा जाए, के सिवाय इस करार के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने लिए उन्हें संपूर्ण रूप में अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य को नहीं सौंपेगा,तथापि, इस प्रकार का सौंपा जाना इस करार के अधीन द्वितीय पक्ष को उसके उत्तरदायित्व एवं दायित्व से मुक्त नहीं करेगा|

The Second Party shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the agreement, except with the prior written consent of the First Party at its sole discretions and on such terms and conditions as deemed fit by the First Party. However, any such assignment shall not relieve the Second Party from its liability or obligation under this agreement.

9.0 सूचना NOTICES

9.1 इस करार के अनुसरण में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया कोई भी नोटिस लिखित रूप में स्पीड पोस्ट या प्रतिकृति द्वारा अथवा ई-मेल से भेजा जाएगा तथा दूसरे पक्ष के अधोलिखित पते पर मूल प्रतिलिपि डाक से भेज कर पुष्टि की जाएगी।

Any notice given by one party to the other pursuant to this Agreement shall be sent to other party in writing by Speed Post or by facsimile or by e-mail and confirmed by original copy through post to the other Party’s address as below.

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, एनएपीएस चिकित्सालय, नरोरा साइट
Authorized Medical Officer/ Medical Superintendent, NAPS Hospital, Narora Site

डॉ. Dr. ____

____

____

के साक्ष्य में, पार्टियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं और उपर्युक्त उल्लिखित दिन, महीने और वर्ष को निष्पादित किया है।
IN WITNESSES WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be signed and executed on the day, month and the year first above mentioned.

हस्ताक्षरकर्ता Signed by

एनपीसीआईएल एनएपीएस साइट के वरिष्ठ प्रबंधक (मासं.) एवं मोहर
Sr. Manager (HR) of NPCIL NAPS Site & Seal
(प्रथम पक्ष FirstParty)

की उपस्थिति में In the presence of (साक्ष्य Witnesses)
1.

2.

हस्ताक्षरकर्ता Signed by

कृते एवं वास्ते डॉ. For and behalf of Dr. ________________________
____

डॉ. .... के संकल्प संख्या .... दिनांक ....
द्वारा विधिवत प्राधिकृत एवं मोहर
Duly authorized vide Resolution No. .... dated ....
of Dr. ________________________& Seal
(द्वितीय पक्ष Second Party)

की उपस्थिति में In the presence of (साक्ष्य Witnesses)
1.

2.